न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

म संख्या 16 / 26 दायर दिनांक 09.02.2026

ाएमएस न. 2026 / 36

उनवान

ान्द कुमार पुत्र श्री यादराम जाति जाटव नि. दलालपुर तह. हिण्डौन जिला करौली राज.।

—वादी

बनाम

ारनसिंह 2 तेजसिंह पुत्रान रामकुमार 3 तेजसिंह पुत्र चुन्नी 4 प्रेमप्रकाश पुत्र रामकुमार 5 फूलसिंह 6 लाल पुत्रान कचन 7 भरतसिंह पुत्र रामकुमार 8 मौहरसिंह 9 रूपनारायण पुत्रान रामकिशन 10 रमेश पुत्र ो 11 रामजीलाल पुत्र चिरमोली 12 रामप्रसाद पुत्र चुन्नी 13 श्यामसिंह पुत्र रामकिशन 14 कौशल्या पत्नि खिलाडी जातियान जाटव नि. छौंकरवाडा कलाँ तह. भुसावर 15 सुगरसिंह पुत्र कमल जाति जाटव नि. तह. नदबई 16 फूलवती पत्नि भिक्कीराम जाति जाटव नि. मई तह. नदबई 17 गीतेश महावर पत्नि सिंह 18 भग्गो पत्नि देवीसिंह (मृतक) 18/1 वीरबल 18/2 जगदीश 18/3 तेजसिंह 18/4 कन्हैया ान देवीसिंह जातियान कोली निवासी छौंकरवाडा खुर्द तह. भुसावर 18/5 सरोज पुत्र देवीसिंह पत्नि ो 18/6 निरी पुत्री देवीसिंह पत्नि लक्ष्मन जातियान कोली निवासी खानपुर तह. टोडाभीम जिला करौली /7 रेनू पुत्री देवीसिंह पत्नि अजय जाति कोली निवासी छौंकरवाडा खुर्द तह. भुसावर 19 मनीषा पत्नि ुमसिंह जातियान कोली नि. छौंकरवाडा खुर्द तह. भुसावर 20 सुनीता पत्नि प्रभूदयाल जाति कोली नि. तरा तह. नदबई 21 गायत्री पत्नि भँवरसिंह जाति कोली नि. छौंकरवाडा खुर्द हाल नि. श्यामनगर कॉलोनी ुवा जिला दौसा 22 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री पप्पूराम —वादी

<u>निर्णय दिनांक 12.05.2026</u>

वादी द्वारा जरिये वकील यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 720 रकवा 0.4500 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 767/723 रकवा 1.5100 हेक्टेयर वाके ग्राम छौकरवाडा खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 21 मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 मे दर्ज हिस्से अनुसार काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर राज लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्तकारी व संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी को मनवट के आधार पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादग्रस्त आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादी को उसके निहित हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करने पर आमादा है। एवं वादी को उसके निहित हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ भी प्राप्त नही होने देते है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये अच्छी व मौके

उपखण्ड अधिकारी
भुसा[illegible] [illegible]तपुर)

आराजी को अपने कब्जे में लेने व दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी
भी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनाक 04.02.2026 को वादी ने प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीटस
बाउण्ड कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि हम तो
भी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व
किल करते हुए तुझे तेरे हिस्से की अच्छी आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे, और तुझे आराजी
शान्ति से काश्त भी नही करने देगे। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड
पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का कानूनी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण
मध्य किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। बाद
मील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का
ली भांति अवलोकन किया गया।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा
या। लेकिन दिनांक 29.04.2026 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार होने पर पुनः संशोधित
ारंभिक डिक्री किया गया और कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में
हसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल.आर./2026/2033 दिनांक 08.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव
िजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं
समें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार
हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके
रा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/एल.आर./2026/2033 दिनांक 08.05.2026 अनुसार
भयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय
भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)